राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya** से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipur दिनांक 20.05.2025** की पालना में शिक्षण संस्थान **TOLASARIA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001216)** को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 को शिक्षण संस्थान **TOLASARIA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001216)** को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेत् छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया।

विभाग द्वारा **दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार है:–**

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी की आईडी के संबंध में उत्तर मैट्रिक **छात्रवृत्ति की मानक संचालन प्रक्रिया 2023 तथा 2024 के बिंदु संख्या 3.3 व 3.9** निम्नानुसार है :–

''3.3 छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि संस्था प्रभारी के आधार से Linked होगी। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा केवल AISHE code के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा।

3.9 संस्थान के स्तर पर छात्रवृत्ति कार्य सम्पादन हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की नियुक्ति संस्था द्वारा की जावेगी जिसका आधार सहित अन्य विवरण भी पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया जावेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2023 को मानक संचालन प्रक्रिया 2023 जारी होने के पश्चात् संस्थान के द्वारा कियोस्क आईडी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था अपितु संस्था प्रभारी के आधार से लिंक्ड एसएसओ आईडी का प्रयोग किया जाना चाहिए था।''

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त संस्थान को वर्ष 2025–26 से छात्रवृत्ति पोर्टल पर inactive/De-avtivate/Blacklist करते हुए वर्ष 2024–25 तक प्राप्त एवं लंबित आवेदनों को निम्न शर्तों पर पुनः प्रक्रियागत किया जाता है:–

1. उक्त प्रकरण से जुड़े सभी विद्यार्थियों के आवेदनों की साइबर सिक्योरिटी ऑडिट DOIT&C से करवाई जायेगी जिसमें आवेदक, ई–मित्र, शिक्षण संस्थान एवं जिलाधिकारी के आई.पी. एड्रेस की जांच भी शामिल होगी।

RajKaj Ref No.: 22993079

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:37:36 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

आई.पी. एड्रेस के साथ–साथ प्रक्रिया संबंधी विस्तृत विश्लेषण करते हुए विद्यार्थी, संस्था एवं जिलाधिकारी के स्तर पर हुई अनियमितताओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

2. उक्त शिक्षण संस्थाओं के सभी लंबित आवेदन शिक्षण संस्थान के स्तर पर लंबित किये जायेंगे (यदि आवेदन शिक्षण संस्थान के स्तर से अग्रेषित कर दिये गये हैं)। शिक्षण संस्थान समस्त आवेदनों का पुनः परीक्षण करेंगे। शिक्षण संस्थान प्रत्येक आवेदन के लिए समस्त संबधित दस्तावेजों सहित पृथक–पृथक रिपोर्ट मय शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर अपलोड करने के साथ–साथ भौतिक रूप से संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। दस्तावेज अपलोड करने हेतु इन शिक्षण संस्थानों को पोर्टल पर पृथक से सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि जिलाधिकारी अथवा निदेशालय स्तर पर random जांच के दौरान शिक्षण संस्थान के स्तर पर कोई अनियमितता प्रकट होती है तो संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा एवं उसके समस्त लंबित आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. उक्त शिक्षण संस्थानों के लंबित आवेदनों का पेमेन्ट करने का निर्णय DOIT&C से तथा जिलाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्ति के बाद लिया जायेगा। तब तक उक्त शिक्षण संस्थान पेमेन्ट होल्ड पर रहेंगें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :–निम्नकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषितहै :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आदेश वेबवाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... (समस्त) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संस्था प्रधान .....।
7. रक्षित पत्रावली

1.

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 22993079

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24
14:37:36 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर नोडल अधिकारी की एस.एस.ओ. आई.डी. के स्थान पर कियोस्क आई.डी. काम में लेने से विभिन्न गड़बड़ियां होने की संभावना होने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक राजकाज रेफरेंस नंबर 15789823 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा KALPANA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000624) KHERDA, SAWAI MADHOPUR को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 18781549 दिनांक 11.11.2025 द्वारा दिनांक 13.11.2025 को शिक्षण संस्थान KALPANA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000624) KHERDA, SAWAI MADHOPUR को नोडल अधिकारी की एस.एस.ओ. आई.डी. के स्थान पर कियोस्क आई.डी. काम में लेने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी की आईडी के संबंध में उत्तर मैट्रिक **छात्रवृत्ति की मानक संचालन प्रक्रिया 2023 तथा 2024 के बिंदु संख्या 3.3 व 3.9** निम्नानुसार है :–

''3.3 छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी जो कि संस्था प्रभारी के आधार से Linked होगी। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा केवल AISHE code के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जावेगा।

3.9 संस्थान के स्तर पर छात्रवृत्ति कार्य सम्पादन हेतु छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की नियुक्ति संस्था द्वारा की जावेगी जिसका आधार सहित अन्य विवरण भी पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया जावेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2023 को मानक संचालन प्रक्रिया 2023 जारी होने के पश्चात् संस्थान के द्वारा कियोस्क आईडी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था अपितु संस्था प्रभारी के आधार से लिंक्ड एसएसओ आईडी का प्रयोग किया जाना चाहिए था।''

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त संस्थान को वर्ष 2025–26 से छात्रवृत्ति पोर्टल पर inactive/De-avtivate/Blacklist करते हुए वर्ष 2024–25 तक प्राप्त एवं लंबित आवेदनों को निम्न शर्तों पर पुनः प्रक्रियागत किया जाता हैः–

1. उक्त प्रकरण से जुड़े सभी विद्यार्थियों के आवेदनों की साइबर सिक्योरिटी ऑडिट DOIT&C से करवाई जायेगी जिसमें आवेदक, ई–मित्र, शिक्षण संस्थान एवं जिलाधिकारी के आई.पी. एड्रेस की जांच भी शामिल होगी।

RajKaj Ref No.: 22993079

Digitally signed by LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24 14:37:36 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

आई.पी. एड्रेस के साथ–साथ प्रक्रिया संबंधी विस्तृत विश्लेषण करते हुए विद्यार्थी, संस्था एवं जिलाधिकारी के स्तर पर हुई अनियमितताओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

2. उक्त शिक्षण संस्थाओं के सभी लंबित आवेदन शिक्षण संस्थान के स्तर पर लंबित किये जायेंगे (यदि आवेदन शिक्षण संस्थान के स्तर से अग्रेषित कर दिये गये हैं)। शिक्षण संस्थान समस्त आवेदनों का पुनः परीक्षण करेंगे। शिक्षण संस्थान प्रत्येक आवेदन के लिए समस्त संबधित दस्तावेजों सहित पृथक–पृथक रिपोर्ट मय शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर अपलोड करने के साथ–साथ भौतिक रूप से संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। दस्तावेज अपलोड करने हेतु इन शिक्षण संस्थानों को पोर्टल पर पृथक से सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि जिलाधिकारी अथवा निदेशालय स्तर पर random जांच के दौरान शिक्षण संस्थान के स्तर पर कोई अनियमितता प्रकट होती है तो संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा एवं उसके समस्त लंबित आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. उक्त शिक्षण संस्थानों के लंबित आवेदनों का पेमेन्ट करने का निर्णय DOIT&C से तथा जिलाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्ति के बाद लिया जायेगा। तब तक उक्त शिक्षण संस्थान पेमेन्ट होल्ड पर रहेंगें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F. 9(4)PMS/Fraud case Payment/2025/07305-7248297-Part-1-7559024 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :–निम्नकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषितहै :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आदेश वेबवाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... (समस्त) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संस्था प्रधान .....।
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
22993079

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-06-24
14:37:36 IST

v-1.0